अध्याय 22-सभा समितियां.

(क) सामान्य नियम.

176. इस अध्याय में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो "समिति" का तात्पर्य और उसके अन्तर्गत है, नियम 2 के उपनियम (1) के पद (थ) में परिभाषित "सभा समिति". **समिति की परिभाषा**

177. (1) समिति के सदस्य, यथास्थिति, प्रस्ताव किये जाने पर सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित किये जायेंगे. **समिति की नियुक्ति.**

(2) यदि कोई सदस्य समिति में काम करने के राजी न हो तो उसे समिति का सदस्य नियुक्त नहीं किया जायेगा, प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि जिस सदस्य का नाम वह प्रस्तावित करना चाहता है वह समिति में सेवा करने के लिये राजी है.

(3) समिति में आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति, यथास्थिति, प्रस्ताव किये जाने पर सभा द्वारा नियुक्ति या निर्वाचन द्वारा या अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशन द्वारा की जायेगी और ऐसी रिक्तता की पूर्ति के लिये नियुक्त, निर्वाचित या नाम-निर्देशित सदस्य उस कालावधि तक पद धारण करेगा जिसके लिये वह सदस्य जिसके स्थान पर वह निर्वाचित या नाम-निर्देशित हुआ है, सामान्यतया पद धारण करता.

178. नियम 68 के अधीन गठित प्रवर समिति को या ऐसी समिति को छोड़कर, जिसके लिये पदावधि स्पष्ट रूप से विहित की गई हो, प्रत्येक सभा समिति के सदस्यों की पदावधि समिति के गठन की तिथि से एक वर्ष की होगी : **सभा समिति के सदस्यों की पदावधि**

परन्तु पद मुक्त सदस्य तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनके उत्तराधिकारी नियमानुसार निर्वाचित या नाम-निर्देशित न हो जायें.

179. कोई सदस्य अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा समिति से अपने स्थान का त्याग कर सकेगा. **सदस्य का समिति से पद-त्याग.**

180. (1) समिति का सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जायेगा : **समिति का सभापति**

परन्तु यदि उपाध्यक्ष समिति का सदस्य हो तो वही समिति का सभापति नियुक्त किया जायेगा.

(2) यदि सभापति किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो तो अध्यक्ष उसी प्रकार उसके स्थान में अन्य सभापति नियुक्त कर सकेगा.

(3) यदि सभापति किसी बैठक से अनुपस्थित हो तो समिति किसी अन्य सदस्य को उस बैठक में सभापति का कार्य करने के लिये चुनेगी.

181. (1) समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति समिति के सदस्यों की कुल संख्या का, यथासंभव निकट, एक तिहाई होगी. **गणपूर्ति.**

(2) यदि समिति की किसी बैठक के लिये नियत समय पर या यदि बैठक के दौरान में किसी समय पर गणपूर्ति न हो, तो समिति का सभापति या तो उस बैठक को गणपूर्ति होने तक निलंबित रखेगा या उस बैठक को किसी आगामी दिन के लिये स्थगित कर देगा.

(3) जब उपनियम (2) के अनुसरण में समिति की बैठकों के लिये निश्चित की गई लगातार दो तिथियों को समिति स्थगित की जा चुकी हो, तो सभापति उस तथ्य की सूचना सभा को देगा :

परन्तु जब समिति अध्यक्ष द्वारा नियुक्त की गई हो, तो सभापति ऐसे स्थगन के तथ्य की सूचना अध्यक्ष को देगा.

182. समिति की बैठक में सभी प्रश्नों का निश्चय उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा. **समिति में मतदान.**

183. किसी विषय पर मत-समता की अवस्था में सभापति दुबारा या निर्णायक मत दे सकेगा. **सभापति का निर्णायक मत.**

184. (1) समिति किन्हीं ऐसे विषयों की जो उसे निर्दिष्ट किये जाये, जांच करने के लिये एक या अधिक उप-समितियां नियुक्त कर सकेगी, जिनमें से प्रत्येक को अविभक्त समिति की शक्तियां प्राप्त होंगी और ऐसी उप-समितियों के प्रतिवेदन सम्पूर्ण समिति के प्रतिवेदन समझे जायेंगे. यदि वे सम्पूर्ण समिति की किसी बैठक में अनुमोदित हो जायें. **उप-समितियां नियुक्त करने की शक्ति.**

(2) उप-समिति को निर्देश करने वाले आदेश में अनुसंधान के विषय या विषयों का स्पष्टतया उल्लेख किया जायेगा. उप-समिति के प्रतिवेदन पर संपूर्ण समिति द्वारा विचार किया जायेगा.

185. समिति की बैठकें ऐसे दिन और ऐसे समय पर होंगी, जो समिति का सभापति नियत करे : **समिति की बैठक.**

परन्तु यदि समिति का सभापति तत्काल न मिल सके, तो बैठक की तिथि और समय सचिव नियत कर सकेगा.

186. जिस समय सभा की बैठक हो रही हो, उस समय भी समिति की बैठक हो सकेगी, परन्तु सभा में विभाजन की मांग की जाने पर समिति का सभापति समिति की कार्यवाही ऐसे समय के लिये निलंबित कर देगा जिसके भीतर, उसकी राय में, सदस्य विभाजन में मत दे सकें. **जिस समय सभा की बैठक हो रही हो उस समय भी समिति की बैठक हो सकेगी.**

187. जो सदस्य समिति के सदस्य नहीं हैं वे समिति की अनुज्ञा से समिति के पर्यालोचन के दौरान उपस्थित रह सकेंगे, किन्तु न तो वे समिति को संबोधित कर सकेंगे और न समिति के सदस्यों में बैठेंगे : **समिति की बैठक गुप्त होना.**

परन्तु कोई मंत्री सभापति की अनुज्ञा से समिति को संबोधित कर सकेगा जिसका वह सदस्य न भी हो.

188. समिति की बैठकें साधारणतया विधान सभा भवन के परिसर में ही होंगी, किन्तु अध्यक्ष समिति की बैठक के लिये कोई अन्य स्थान भी नियत कर सकेगा. **बैठकों का स्थान.**

189. (1) कोई साक्षी सचिव के हस्ताक्षरित आदेश द्वारा आहूत किया जा सकेगा और वह ऐसे दस्तावेज पेश करेगा जो समिति के उपयोग के लिये आवश्यक हों. **साक्ष्य लेने अथवा पत्रों, अभिलेखों या दस्तावेजों को मंगाने की शक्ति.**

(2) यह समिति के स्वविवेक पर निर्भर होगा कि उसके सामने दिये गये किसी साक्ष्य को वह गोपनीय या गुप्त समझे.

(3) समिति को प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज समिति के ज्ञान और अनुमोदन के बिना न तो वापस लिया जायेगा और न उसमें परिवर्तन किया जायेगा.

190. सभा-समिति को व्यक्तियों को बुलाने तथा पत्रों और अभिलेखों को मंगाने की शक्ति होगी : **व्यक्तियों को बुलाने तथा पत्रों और अभिलेखों को मंगाने की शक्ति.**

परन्तु यदि कोई साक्षी किसी दस्तावेज को पेश करने के बारे में आपत्ति करे, तो वह प्रश्न अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा और उसका निश्चय अंतिम होगा :

परन्तु यह और भी कि शासन किसी दस्तावेज को पेश करने से इस आधार पर इन्कार कर सकेगा कि उसका प्रकट किया जाना राज्य की सुरक्षा या हित के प्रतिकूल होगा.

191. समिति के सामने साक्षियों की जांच निम्न प्रकार से की जायेगी :- **साक्षियों की जांच के लिये प्रक्रिया.**

(1) समिति, किसी साक्षी को जांच के लिये बुलाये जाने के पूर्व यह विनिश्चित करेगी कि प्रक्रिया की रीति क्या होगी तथा साक्षी से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकेंगे;

(2) समिति का सभापति इस नियम के खण्ड (1) में उल्लिखित प्रक्रिया की रीति के अनुसार साक्षी से पहले ऐसा प्रश्न या ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जो वह विचाराधीन विषय या तत्सम्बन्धी किसी विषय के सम्बन्ध में आवश्यक समझे;

(3) सभापति एक-एक करके समिति के अन्य सदस्यों से कोई अन्य प्रश्न पूछने के लिए कह सकेगा;

(4) साक्षी से समिति के सामने ऐसी अन्य संगत बातें रखने के लिए कहा जा सकेगा जो पहले न आ चुकी हों और जिन्हें साक्षी समिति के सामने रखना आवश्यक समझता हो.

192. (1) सभा-समिति की समस्त कार्यवाहियां और प्रतिवेदन गोपनीय होंगे और कोई भी व्यक्ति उन्हें तब तक प्रकट न करेगा या अन्यथा प्रकाशित न करेगा जब तक कि ये पटल पर न रख दिए जायें या नियम, 197 के अधीन अध्यक्ष के आदेशानुसार प्रकाशित न कर दिए जायें; **पटल पर रखे जाने या प्रकाशित होने से पूर्व कार्यवाहियों और प्रतिवेदन का गोपनीय होना.**

(2) समिति निदेश दे सकेगी कि संपूर्ण साक्ष्य या उसका कोई अंश या उसका सारांश पटल पर रखा जाय;

(3) कोई भी व्यक्ति, अध्यक्ष द्वारा दिए गए प्राधिकार के सिवाय मौखिक या लिखित साक्ष्य के किसी अंश का अथवा समिति के प्रतिवेदन या उसकी कार्यवाही का, जो पटल पर न रखी गई हो, निरीक्षण नहीं कर सकेगा.

193. समिति, यदि वह ठीक समझे, किसी ऐसे विषय पर विशेष प्रतिवदन दे सकेगी जो उसके कार्य के दौरान में उत्पन्न हो या प्रकाश में आए और जिसे वह अध्यक्ष या सभा के ध्यान में लाना आवश्यक समझे, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा विषय-समिति के निर्देश पदों से प्रत्यक्षता संबंधित नहीं है, या उनके भीतर नहीं आता या उनसे आनुषंगिक नहीं है. **विशेष प्रतिवेदन.**

194. (1) जब सभा ने प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए कोई समय निश्चित न किया हो, तो प्रतिवेदन उस तिथि के तीन मास के भीतर उपस्थापित किया जाएगा जिस तिथि को समिति को निर्देश किया गया था : **समिति का प्रतिवेदन.**

परन्तु सभा किसी भी समय, प्रस्ताव किये जाने पर, निदेश दे सकेगी कि समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थान के लिए समय, प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाए.

(2) प्रतिवेदन या तो प्रारंभिक हो सकेंगे या अन्तिम;

(3) समिति के प्रतिवेदन पर समिति की ओर से सभापति द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा;

परन्तु यदि सभापति अनुपस्थित हो या तत्काल न मिल सके तो समिति की ओर से प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए समिति किसी अन्य सदस्य को चुन लेगी.

195. समिति, यदि वह ठीक समझे, अपने प्रतिवेदन के किसी पूरे भाग को सभा में उपस्थापित करने से पहले शासन को उपलब्ध कर सकेगी. ऐसा प्रतिवेदन जब तक कि वह सभा में उपस्थापित न कर दिया जाय, गुप्त समझा जाएगा. **उपस्थापन के पहले प्रतिवेदन का शासन को उपलब्ध किया जाना.**

196. (1) समिति का प्रतिवेदन सभा में सभापति द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में समिति के किसी सदस्य द्वारा उपस्थापित किया जाएगा.

प्रतिवेदन का उपस्थापन.

(2) प्रतिवेदन उपस्थापित करते समय सभापति या उसकी अनुपस्थिति में, प्रतिवेदन उपस्थापित करने वाला सदस्य यदि कोई बात करे तो वह अपने आपको संक्षेप में तथ्य बताने तक ही सीमित रखेगा, किन्तु उस कथन पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा.

197. अध्यक्ष, प्रार्थना की जाने पर और जब सभा सत्र में न हो, तो किसी समिति के प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन या परिचालन का आदेश दे सकेगा, यद्यपि वह सभा में उपस्थापित न किया गया हो. उस अवस्था में प्रतिवेदन सभा में आगामी सत्र के दौरान में प्रथम सुविधाजनक अवसर पर उपस्थापित किया जाएगा.

प्रतिवेदन के सभा में उपस्थापन के पहले मुद्रण, प्रकाशन या परिचालन.

198. किसी सभा-समिति को उस समिति से संबंधित प्रक्रिया के विषयों पर अध्यक्ष के विचारार्थ संकल्प पारित करने की शक्ति होगी और अध्यक्ष प्रक्रिया में ऐसे परिवर्तन कर सकेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे.

प्रक्रिया पर सुझाव देने की सभा समिति की शक्ति.

198-क. कोई समिति अध्यक्ष के अनुमोदन से इस अध्याय के नियम में निहित उपबन्धों के अनुपूर्ण के लिए विस्तृत प्रक्रिया के नियम बना सकेगी.

समिति की विस्तृत नियम बनाने की शक्ति.

199. (1) अध्यक्ष, समय-समय पर समिति के सभापति को ऐसे निर्देश दे सकेगा जिन्हें वह उसकी प्रक्रिया के विनियमन तथा उसके कार्य संगठन के लिए आवश्यक समझे.

प्रक्रिया के प्रश्न पर या अन्य प्रकार से अध्यक्ष की निर्देश देने की शक्ति.

(2) यदि प्रक्रिया संबंधी किसी प्रश्न पर या अन्य प्रकार का कोई सन्देह उत्पन्न हो, तो सभापति यदि वह ठीक समझे, उस प्रश्न को अध्यक्ष को निर्दिष्ट कर सकेगा और अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा.

200. कोई सभा-समिति जो अपनी अवधि समाप्त होने के पहले, अपना काम पूरा न कर सके सभा को सूचित कर सकेगी कि समिति अपना काम पूरा नहीं कर सकी है, कोई प्रारंभिक प्रतिवेदन, ज्ञापन या टिप्पणी जो समिति ने तैयार की हो या कोई साक्ष्य जो समिति ने दिया हो, नई समिति को उपलब्ध किया जायेगा.

सभा समितियों का असमाप्त काम.

201. किसी समिति के समक्ष लम्बित कोई कार्य केवल सभा के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा और इस प्रकार सत्रावसान होने पर भी समिति कार्य करती रहेगी.

समिति के समक्ष लम्बित कार्य सभा के सत्रावसान पर व्यपगत नहीं होगा.

202. उन विषयों को छोड़कर जिनके लिए किसी विशेष समिति से संबंधित नियमों में विशेष उपबन्ध रखा गया हो, इस अध्याय के सामान्य नियम सभी समितियों पर लागू होंगे और यदि, तथा जहां तक, किसी समिति से संबंधित विशिष्ट नियमों का कोई उपबन्ध ऐसे सामान्य नियमों से असंगत हो, तो विशिष्ट नियम लागू होंगे.

सामान्य नियमों का समिति पर लागू होना.

(ख) कार्य मंत्रणा समिति.

203. (1) यथास्थिति, सभा के प्रारंभ पर या समय-समय पर अध्यक्ष कार्य-मंत्रणा समिति नामक एक समिति नाम-निर्देशित कर सकेगा जिसमें अध्यक्ष को मिलाकर, जो समिति का सभापति होगा, नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे.

समिति का गठन.

(2) उपनियम (1) के अधीन नाम निर्देशित समिति एक वर्ष तक पद धारण करेगी.

(3) यदि अध्यक्ष किसी कारणवश समिति की किसी बैठक में पीठासीन होने में असमर्थ हो, तो वह उस बैठक के लिए सभापति नाम-निर्दिष्ट करेगा.

समिति के कृत्य.

204. (1) समिति का यह कृत्य होगा कि वह ऐसे शासकीय विधेयकों के प्रक्रम या प्रक्रमों पर तथा अन्य शासकीय कार्य पर चर्चा के लिए समय के बटवारे की सिफारिश करे जिन्हें अध्यक्ष सभानेता के परामर्श से समिति को सौंपे जाने का निर्देश दे.

(2) समिति को प्रस्तावित समय-सूची में यह भी दर्शाने की शक्ति होगी कि विधेयक के विभिन्न प्रक्रम तथा अन्य शासकीय कार्य किस-किस समय पूरे होंगे.

(3) समिति ऐसे अन्य कृत्य करेगी जो अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे जायें.

समिति का प्रतिवेदन

205. विधेयक या विधेयकों के समूह तथा अन्य शासकीय कार्य के बारे में समिति द्वारा तय की गई समय-सूची अध्यक्ष द्वारा सभा को सूचित कर दी जाएगी तथा पत्रक में अधिसूचित कर दी जाएगी.

समय के बटवारे का आदेश.

206. (1) सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद कोई भी सदस्य समय-सूची के स्पष्टीकरण हेतु प्रश्न पूछ सकेगा.

(2) आपत्तियों या सुझावों पर विचार करने के बाद अध्यक्ष ऐसे छोटे-मोटे परिवर्तन करके जिन्हें वह आवश्यक समझे, घोषित कर सकेगा कि समय-सूची का अनुसरण किया जाएगा अथवा विकल्प में, वह समय के बटवारे के आदेश के स्वीकार किये जाने के हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए समिति के किसी सदस्य को नाम-निर्दिष्ट कर सकेगा.

(3) जब उपनियम (2) के अधीन कोई सदस्य नाम-निर्दिष्ट किया जाय तब ऐसा सदस्य इस आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा कि वह सभा अमुक-अमुक विधेयक या विधेयकों या अन्य शासकीय कार्य के बारे में समिति द्वारा प्रस्तावित समय के बटवारे को स्वीकार करती है और यदि ऐसा प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाए, तो वह इस प्रकार प्रभावी होगा जैसे कि वह सभा का आदेश हो;

परन्तु यह संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा कि प्रतिवेदन या तो बिना परिसीमा के या किसी विशेष विषय के संबंध में समिति को वापस भेज दिया जाय.

(4) इस नियम के अधीन प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर तीस मिनट से अधिक समय तक चर्चा नहीं होगी और कोई सदस्य ऐसे प्रस्ताव पर पांच मिनट से अधिक नहीं बोलेगा.

निश्चित समय पर अवशिष्ट विषयों का निबटारा.

207. अध्यक्ष, विधेयक के किसी विशेष प्रक्रम को पूरा करने के लिए समय के बटवारे के आदेश के अनुसार निश्चित समय पर विधेयक के उस प्रक्रम के सम्बन्ध में सभी अवशिष्ट विषयों को निबटाने के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेगा.

(ग) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति.

समिति का गठन.

208. (1) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी एक समिति होगी जिसमें सात से अधिक सदस्य नहीं होंगे.

(2) समिति अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित की जायेगी और एक वर्ष तक पद धारण करेगी.

209. (1) समिति के ये कृत्य होंगे :- **समिति के कृत्य.**

(क) यह सिफारिश करना कि गैर-सरकारी सदस्यों के प्रत्येक विधेयक के प्रक्रम या प्रक्रमों पर चर्चा के लिए कितना समय दिया जाना चाहिए और इस प्रकार तैयार की गई समय-सूची में यह भी दर्शाना कि दिन में किस-किस समय पर विधेयक के विभिन्न प्रक्रम पूरे होंगे;

(ख) गैर-सरकारी सदस्यों के ऐसे प्रत्येक विधेयक की जांच करना, जिसका सभा में इस आधार पर विरोध किया जाय कि विधेयक द्वारा ऐसे विधान का सूत्रपात होता है, जो सभा की विधायनी सक्षमता से परे है और अध्यक्ष ऐसी आपत्ति को ऊपरी दृष्टि से ठीक समझे;

(ग) गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों और आनुषंग के विषयों की चर्चा के लिए समय की सिफारिश करना;

(घ) सदन द्वारा पारित अशासकीय संकल्प के संबंध में शासन द्वारा अग्रेतर कार्यवाही का अनुशीलन करना.

(2) समिति गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों के संबंध में अन्य ऐसे कृत्य करेगी जो उसे अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें.

210. प्रतिवेदन के सभा के समक्ष उपस्थापित किये जाने के बाद किसी समय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा कि सभा प्रतिवेदन को स्वीकार करती है या संशोधनों के साथ स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है : **सभा में प्रतिवेदन पर प्रस्तुत प्रस्ताव.**

परन्तु प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आधे घंटे से अधिक समय नियत नहीं किया जावेगा और कोई सदस्य ऐसे प्रस्ताव पर पांच मिनट से अधिक नहीं बोलेगा :

परन्तु यह और भी कि यह संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा कि प्रतिवेदन बिना परिसीमा के या किसी विशेष विषय के संबंध में समिति को वापस भेज दिया जाए.

211. विधेयकों या संकल्पों के सम्बन्ध में समय के बटवारे का आदेश सभा द्वारा किये गये विनिश्चय के अनुसार अधिसूचित कर दिया जायेगा. **वर्गीकरण और समय के बटवारे के आदेश की अधिसूचना.**

212. अध्यक्ष, समय के बटवारे के आदेश के अनुसार निश्चित समय पर विधेयक के किसी विशेष क्रम की समाप्ति के सम्बन्ध में सब अवशिष्ट विषयों के निबटाने के लिए प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेगा. **निश्चित समय पर अवशिष्ट विषयों का निबटारा.**

(घ) याचिका समिति.

213. यथास्थिति, सभा के प्रारम्भ पर या समय-समय पर, अध्यक्ष एक याचिका समिति नामनिर्देशित करेगा जिसमें सात से अधिक सदस्य नहीं होंगे : **समिति का गठन.**

परन्तु किसी मंत्री को समिति का सदस्य नामनिर्देशित नहीं किया जाएगा और यदि कोई सदस्य समिति में नामनिर्देशन के पश्चात् मंत्री नियुक्त हो जाय, तो वह ऐसे नामनिर्देशन की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा.

214. (1) समिति उसे सौंपी गई प्रत्येक याचिका की जांच करेगी और यदि याचिका में इन नियमों का पालन किया गया हो, तो समिति अपने विवेकानुसार निर्देश दे सकेगी कि उसे परिचालित किया जाय. यदि याचिका के परिचालित किये जाने का निदेश न दिया गया हो, तो अध्यक्ष किसी भी समय निदेश दे सकेगा कि याचिका को परिचालित किया जाय. **याचिका का परीक्षण और परिचालन.**

(2) याचिका सविस्तार अथवा संक्षिप्त रूप में परिचालित की जायेगी, जैसे कि यथास्थिति, समिति या अध्यक्ष निदेश दे.

215. समिति, सभा को प्रतिवेदन करेगी कि याचिका क विषय क्या है उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है और याचिका इन नियमों के अनुरूप है या नहीं तथा यह भी उसके परिचालन का निदेश दिया गया है या नहीं. समिति का यह भी कर्त्तव्य होगा कि वह उसको सौंपी गई याचिका में की गई विशिष्ट शिकायतों के बारे में ऐसी साक्ष्य लेने के पश्चात् जैसी उचित समझे, सभा को प्रतिवेदित करे और या तो समीक्षाधीन मामले के सम्बन्ध में ठीक रूप के या भविष्य में ऐसे मामले को रोकने के लिए प्रतिकारक उपायों का सुझाव दे. **समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन.**

(ङ) प्रत्यायुक्त विधान समिति.

216. प्रत्यायुक्त विधान समिति इस बात की छानबीन करने और सदन को प्रतिवेदित करने के लिए होगी कि क्या संविधान द्वारा प्रदत्त या सभा द्वारा प्रत्यायोजित विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियों का प्रयोग ऐसे प्रत्यायोजन के अन्तर्गत उचित रूप से किया जा रहा है. **समिति के कृत्य.**

217. (1) समिति में सात से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे; **समिति का गठन.**

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य नामनिर्देशित नहीं किया जाएगा और यदि कोई सदस्य, समिति के लिए नामनिर्देशन के पश्चात् मंत्री नियुक्त किया जाए तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा.

(2) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी.

218. संविधान के उपबन्धों या विधान सभा द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित वैधानिक कृत्यों के अनुसरण में बनाए गए प्रत्येक विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि जिसको विधान सभा के समक्ष रखा जाना अपेक्षित हो, और जिसको इसके पश्चात् "आदेश" कहा गया है ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो अध्यक्ष, सदन नेता के परामर्श से विहित करे, प्रख्यापित होने के तुरन्त बाद केन्द्रीय स्थान में संख्यांकित किया जाएगा और राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा. **आदेशों का संख्यांकन और प्रकाशन.**

219. नियम 218 में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसे आदेश के सभा के समक्ष रखे जाने के बाद, समिति विशेष रूप से इस बात पर विचार करेगी कि :- **आदेशों की जांच.**

(एक) वह संविधान अथवा उस अधिनियम के सामान्य उद्देश्यों के अनुकूल है या नहीं जिसके अनुसरण में वह बनाया गया है;

(दो) उसमें ऐसा विषय अन्तर्विष्ट है या नहीं जिसको अधिक समुचित ढंग से निबटाने के लिए समिति की राय में विधान सभा का अधिनियम होना चाहिए;

(तीन) उसमें कोई करारोपण अन्तर्विष्ट है या नहीं;

(चार) उसमें न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में रुकावट होती है या नहीं;

(पांच) वह उन उपबन्धों में से किसी को भूतलक्षी प्रभाव देता है या नहीं जिनके संबंध में संविधान या अधिनियम स्पष्ट रूप से ऐसी कोई ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं करता;

(छः) उसमें राज्य की संचित निधि या लोक राजस्व में से व्यय अन्तर्ग्रस्त है या नहीं;

(सात) उसमें संविधान या उस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का असामान्य अथवा अप्रत्याशित उपयोग किया गया प्रतीत होता है या नहीं, जिसके अनुसरण में यह बनाया गया है;

(आठ) उसके प्रकाशन में या विधान सभा के समक्ष रखे जाने में अनुचित विलम्ब हुआ प्रतीत होता है या नहीं; और

(नौ) किसी कारण से उसके रूप या अभिप्राय के लिए किसी विशुद्धिकरण की आवश्यकता है या नहीं.

220. (1) यदि समिति की राय हो कि कोई आदेश पूर्णतः या अंशतः रद्द कर दिया जाना चाहिए या उसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जाना चाहिए तो वह उक्त राय तथा उसके कारण सभा को प्रतिवेदित करेगी. **समिति का प्रतिवेदन.**

(2) यदि समिति की राय हो कि किन्हीं आदेशों से संबंधित कोई अन्य विषय सभा के ध्यान में लाया जाना चाहिए तो वह उक्त राय तथा विषय सभा को प्रतिवेदित कर सकेगी.

220-क. अध्यक्ष, समिति में या सभा में प्रत्यायुक्त विधान के किसी प्रश्न पर विचार से संबंधित सब विषयों के बारे में प्रक्रिया के विनियमन के लिए ऐसे निदेश दे सकेंगे जो वह आवश्यक समझें. **प्रक्रिया के विनियमन हेतु अध्यक्ष की शक्ति.**

(च) लोक लेखा समिति.

221. (1) नियम 222 के उप-नियम (2) के अधीन समिति को सौंपे गए कृत्यों के संपादन के लिए लोक लेखा समिति नामक समिति का गठन किया जायेगा. **समिति का गठन.**

(2) शासन के व्यय की पूर्ति के लिए सभा द्वारा अनुदत्त राशियों का विनियोग दर्शक लेखों और विधान सभा के समक्ष रखे गए ऐसे अन्य लेखों का, जो समिति उचित समझे, परीक्षण करना समिति का कृत्य होगा.

(3) समिति में अधिक से अधिक नौ सदस्य होंगे जो सभा द्वारा कुल सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जायेंगे :

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जायेगा और यदि कोई सदस्य समिति के लिए निर्वाचित होने के बाद मंत्री नियुक्त किया जाय तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा.

(4) समिति के सदस्यों की पदावधि उस वित्तीय वर्ष की होगी जिसके लिए वह गठित की गई हो.

222. (1) शासन के विनियोग लेखे और उन पर नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की छानबीन करते समय समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपना समाधान कर ले :- **समिति के कृत्य.**

(क) कि लेखों में व्यय के रूप में दिखाया गया धन उस सेवा या प्रयोजन के लिए विधिवत उपलब्ध था और लगाए जाने योग्य था जिसमें वह लगाया गया है या खर्च किया गया है;

(ख) कि व्यय उस प्राधिकार के अनुसार है जिसके अधीन वह किया गया है; और

(ग) कि प्रत्येक पुनर्विनियोजन, विनियोग अधिनियम के अधीन प्रत्येक मांग के लिए अनुदत्त राशि के भीतर ही और सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही किया गया है.

(2) लोक लेखा समिति का कर्त्तव्य होगा :-

(क) ऐसे व्यापारिक, निर्माण संबंधी तथा लाभ और हानि के लेखों और आय-व्ययक चिट्ठों की जांच करना, जिन्हें तैयार करने की राज्यपाल ने अपेक्षा की हो और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करना;

(ख) उन मामलों में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना जिनके सम्बन्ध में राज्यपाल ने उससे आय का लेखा परीक्षण करने की या भण्डारों और स्कंधों के लेखों की जांच करने की अपेक्षा की हो.

(3) यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान में किसी सेवा पर उसके प्रयोजन के लिए सभा द्वारा अनुदत्त राशि से अधिक धन व्यय किया गया हो, तो समिति प्रत्येक मामले के तथ्यों के सम्बन्ध में उन परिस्थितियों की जांच करेगी जिनके कारण अधिक व्यय हुआ हो और ऐसी सिफारिशें करेगी जो वह ठीक समझे;

परन्तु समिति ऐसे सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में जो सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति को इन नियमों द्वारा अथवा अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए हों, अपने कृत्यों का निर्वहन नहीं करेगी.

(छ) प्राक्कलन समिति.

223. (1) ऐसे प्राक्कलनों की परीक्षा के लिए, जो समिति को ठीक प्रतीत हों या जो उसे सभा अथवा अध्यक्ष द्वारा विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट किए जायें, एक प्राक्कलन समिति होगी, समिति के कृत्य ये होंगे :- **समिति के कृत्य एवं गठन.**

(क) प्राक्कलनों से संबंधित नीति से संगत क्या मितव्ययिता, संगठन में सुधार, कार्यपटुता या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं, इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन करना;

(ख) प्रशासन में कार्यपटुता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना;

(ग) प्राक्कलनों में अन्तर्निहित नीति की सीमा में रहते हुए धन ठीक ढंग से लगाया गया है या नहीं इसकी जांच करना;

(घ) प्राक्कलन किस रूप में विधान सभा में उपस्थापित किए जायेंगे उसका सुझाव देना :

परन्तु समिति ऐसे सरकारी उपक्रमों के संबंध में, जो सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति को इन नियमों द्वारा अथवा अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए हों, अपने कृत्यों का निर्वहन नहीं करेगी.

(2) समिति में अधिक से अधिक नौ सदस्य होंगे जो सभा द्वारा कुल सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जायेंगे :

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जायेगा और यदि कोई सदस्य समिति के लिए निर्वाचित होने के बाद, मंत्री नियुक्त किया जाए तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा.

(3) समिति के सदस्यों की पदावधि उस वित्तीय वर्ष की होगी जिसके लिए वह गठित की गई हो.

(4) समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति चार सदस्यों की होगी.

(5) समिति प्राक्कलनों की जांच वित्तीय वर्ष भर समय-समय पर जारी रख सकेगी और जैसे-जैसे वह जांच करती जाए वैसे-वैसे सभा को प्रतिवेदित कर सकेगी. समिति के लिए यह अनिवार्य न होगा कि वह किसी एक वर्ष के सब प्राक्कलनों की जांच करे, इस बात के होते हुए भी कि समिति ने कोई प्रतिवेदन नहीं दिया है, अनुदानों की मांगों पर अन्तिम रूप से मतदान हो सकेगा.

(छ छ) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति.

223-क. तृतीय अनुसूची में उल्लिखित सरकारी उपक्रमों के कार्य संचालन की जांच करने के लिए एक सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति होगी. समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :- **समिति के कृत्य.**

(क) तृतीय अनुसूची में उल्लिखित सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखों की जांच करना;

(ख) सरकारी उपक्रमों के विषय में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक/महालेखापाल के प्रतिवेदनों की, यदि कोई हो, जांच करना;

(ग) सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्य-कुशलता के सन्दर्भ में, यह जांच करना कि क्या सरकारी उपक्रमों के कार्य समुचित व्यापार सिद्धान्तों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुरूप चल रहे हैं; और

(घ) तृतीय अनुसूची में उल्लिखित सरकारी उपक्रमों के संबंध में लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति में निहित ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो उपरोक्त खण्ड (क), (ख) और (ग) के अन्तर्गत न आते हों और जो समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा समिति को सौंपे जायें :

परन्तु समिति निम्नलिखित में से किसी के बारे में भी जांच और छानबीन नहीं करेगी, अर्थात् :-

(एक) प्रमुख सरकारी नीति संबंधी मामले, जो सरकारी उपक्रमों के व्यापार अथवा वाणिज्यिक कृत्यों से भिन्न हैं;

(दो) दिन प्रतिदिन के प्रशासन संबंधी मामले;

(तीन) ऐसे मामले जिन पर विचार के लिए उस विशेष संविधि में व्यवस्था की गई है जिसके अन्तर्गत कोई सरकारी उपक्रम विशेष स्थापित किया गया है.

समिति का गठन.

223-ख. (1) समिति में नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जो सभा द्वारा प्रत्येक वर्ष उसके सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे :

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जाएगा और यदि कोई सदस्य समिति के लिए निर्वाचित होने के बाद मंत्री नियुक्त किया जाए तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा.

(2) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी :

(ज) शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति.

समिति के कृत्य एवं गठन.

224. (1) मंत्रियों द्वारा सभा के अन्दर समय-समय पर दिये गए आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं, वचनों आदि की छानबीन करने के लिए और निम्नलिखत बातों पर प्रतिवेदन करने के लिए शासकीय आश्वासनों सम्बन्धी एक समिति होगी :-

(क) ऐसे आश्वासनों का कहां तक परिपालन किया गया है; तथा

(ख) जहां परिपालन किया गया हो तो ऐसा परिपालन उस प्रयोजन के लिये आवश्यक न्यूनतम समय के भीतर हुआ है या नहीं.

(2) समिति में अधिक से अधिक सात सदस्य होंगे जो अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित किए जायेंगे :

परन्तु किसी मंत्री को समिति का सदस्य नाम-निर्देशित नहीं किया जायेगा और यदि कोई सदस्य समिति में नाम-निर्देशन के पश्चात् मंत्री नियुक्त हो जाए, तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा.

(झ) विशेषाधिकार समिति.

समिति का गठन.

225. (1) यथास्थिति, सभा के प्रारम्भ पर या समय-समय पर अध्यक्ष एक विशेषाधिकार समिति नाम-निर्देशित करेगा, जिसमें सात से अधिक सदस्य नहीं होंगे.

(2) उपनियम (1) के अधीन नाम-निर्देशित समिति तब तक पद धारण करेगी जब तक कि नवीन समिति का नाम-निर्देशन नहीं हो जाता.

226. समिति की गणपूर्ति चार सदस्यों की होगी. **समिति की गणपूर्ति.**

227. (1) समिति उसे सौंपे गए प्रत्येक प्रश्न की जांच करेगी और प्रत्येक मामले के तथ्यों के अनुसार यह निर्धारित करेगी कि किसी विशेषाधिकार का भंग अन्तर्ग्रस्त है या नहीं, और यदि है तो किस स्वरूप का है और किन परिस्थितियों में हुआ है, और ऐसी सिफारिशें करेगी जो वह ठीक समझे. **समिति द्वारा प्रश्न की जांच.**

(2) इन नियमों के उपनियम (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रतिवेदन में यह भी बताया जा सकेगा कि सभा, समिति द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने में किस प्रक्रिया का अनुसरण करे.

228. (1) विशेषाधिकार समिति को विशेषाधिकार का प्रश्न सौंपे जाने के बाद समिति की बैठकें यथाशीघ्र समय-समय पर होंगी तथा समिति द्वारा नियत किये गये समय के भीतर प्रतिवेदन देगी : **समिति की बैठकें.**

परन्तु सभा ने प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये कोई समय निश्चित न किया हो तो प्रतिवेदन उस तिथि से एक मास के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा जिस तिथि को समिति को निर्देश किया गया था :

परन्तु यह और भी कि सभा किसी भी समय प्रस्ताव किये जाने पर निर्देश दे सकेगी कि समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक समय बढ़ा दिया जाए.

(2) प्रतिवेदन या तो प्रारम्भिक हो सकेंगे या अंतिम.

(3) यदि कोई सदस्य किसी विषय पर अपनी विमति टिप्पणी अभिलिखित करना चाहे तो वह उतने समय के भीतर जितने कि अनुमति सभापति दे, अपनी टिप्पणी प्रस्तुत कर सकेगा.

229. प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के बाद यथाशीघ्र सभापति या समिति के किसी सदस्य के नाम पर प्रस्ताव रखा जाएगा कि प्रतिवेदन पर विचार किया जाए. **प्रतिवेदन पर विचार**

230. कोई सदस्य उपर्युक्त नियम 229 में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करके प्रस्ताव में संशोधन की सूचना ऐसे प्रपत्र पर दे सकेगा जिसे अध्यक्ष उपयुक्त समझे : **संशोधन.**

परन्तु यह संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा कि यह प्रश्न या तो परिसीमा के बिना या किसी विषय के संबंध में समिति को पुनः सौंपा जाए.

(ञ) नियम समिति.

231. (1) सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के विषयों पर विचार करने और इन नियमों में ऐसे संशोधनों तथा परिवर्द्धनों की सिफारिश करने के लिये जो आवश्यक समझे जायें, एक नियम समिति होगी. **समिति के कृत्य एवं गठन.**

(2) समिति अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित की जाएगी और उसमें सात से अधिक सदस्य नहीं होंगे. अध्यक्ष, समिति का पदेन सभापति होगा, विधि मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, समिति के पदेन सदस्य होंगे.

(3) समिति की सिफारिशें पटल पर रखी जायेंगी और जिस दिन वे इस तरह रखी जायें उससे आरम्भ होकर सात दिनों की कालावधि के भीतर, कोई सदस्य ऐसी सिफारिशों में किसी संशोधन की सूचना दे सकेगा.

(4) समिति की सिफारिशों में किसी सदस्य द्वारा दी गई किसी संशोधन की सूचना समिति को निर्दिष्ट होगी, जो उस पर विचार करेगी तथा अपनी सिफारिशों में ऐसे परिवर्तन कर सकेगी, जो उचित समझे, सदस्यों द्वारा सुझाए गए संशोधनों पर विचार करने के पश्चात् समिति का अन्तिम प्रतिवेदन पटल पर रख दिया जावेगा,

तत्पश्चात् समिति के किसी सदस्य द्वारा किए गए प्रस्ताव पर प्रतिवेदन से सभा के सहमत हो जाने पर नियमों के संशोधन, सभा द्वारा अनुमोदित किए गए रूप में, अध्यक्ष द्वारा पत्रक में प्रख्यापित कर दिए जाएंगे और राजपत्र में प्रकाशित किए जायेंगे.

(5) यदि ऐसे संशोधन की सूचना सात दिन के भीतर नहीं दी गई हो तो समिति की सिफारिशें सभा द्वारा अनुमोदित की गई समझी जायेंगी और उक्त कालावधि की समाप्ति पर अध्यक्ष, समिति द्वारा सिफारिश किए गए नियमों के संशोधनों को पत्रक में प्रख्यापित करेगा.

(6) जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, नियमों के संशोधन पत्रक में प्रकाशित होने पर प्रवृत्त होंगे.

(ट) सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति.

समिति का गठन एवं कृत्य.

232. (1) प्रत्येक विधान सभा के आरम्भ होने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा सदस्यों के सुख-सुविधाओं एवं शासकीय अधिकारियों द्वारा माननीय सदस्यों के साथ किए जाने वाले असम्मानजनक व्यवहार से संबंधित समस्त विषयों पर विचार करने, मंत्रणा देने एवं असम्मानजनक व्यवहार से संबंधित शिकायतों की जांच कर सभा को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु ``सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति`` की नियुक्ति की जाएगी. इसमें अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित 9 सदस्य रहेंगे, जिनमें से एक सभापति होगा.

(2) सदस्य, शासन के निर्देशों, आदेशों के विपरीत अथवा ऐसे आदेशों के उल्लंघन से संबंधित शासकीय कार्यालयों शासकीय अधिकारियों द्वारा उनके साथ किए गए असम्मानजनक व्यवहार, दुर्व्यवहार की शिकायत, जो हाल ही में घटित हुई हो, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत कर सकेगा.

(3) ऐसी किसी शिकायत के प्राप्त होने पर अध्यक्ष शिकायत की प्रारंभिक जांच के लिए अग्रसर होगा और ऐसी प्रक्रिया अपनाएगा, जैसा कि वे उचित समझे.

(4) प्रारंभिक जांच उपरांत अध्यक्ष या तो शिकायत को अग्राह्य कर सकेगा, या उसे जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के लिए समिति को संदर्भित कर सकेगा.

(5) समिति, उसे संदर्भित शिकायत की जांच में ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी, जैसा कि विशेषाधिकार समिति के संबंध में विहित की गई है तथा शिकायत पर अपना प्रतिवेदन सभा को प्रस्तुत करेगी.

समिति यदि ऐसा करना आवश्यक समझे तो गंभीर मामलों की जांच एवं अनुशंसा के लिए विशेषाधिकार समिति को भेज सकेगी,

परंतु ऐसा अध्यक्ष की अनुमति से ही हो सकेगा.

(6) सदस्य क्षेत्रीय विकास निधि से उनके विधान सभा क्षेत्रों में स्वीकृत किए गए कार्यों के प्रस्तावों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही नहीं करने, प्रस्तावित कार्यों को आरंभ नहीं करने अथवा उसमें अनावश्यक रूप से विलंब करने संबंधित शिकायतें अध्यक्ष को प्रस्तुत कर सकेगा.

(7) ऐसी किसी शिकायत के प्राप्त होने पर अध्यक्ष शिकायत को जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के लिए समिति को संदर्भित करेगा.

(8) समिति, उसके संदर्भित शिकायत की जांच में ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी, जैसा कि समिति अवधारित करे तथा शिकायत पर अपना प्रतिवेदन सभा को प्रस्तुत करेगी.

(ठ) पुस्तकालय समिति.

233. (1) अध्यक्ष, पुस्तकालय से संबंधित विषयों पर मंत्रणा देने के लिये उतने सदस्यों की एक पुस्तकालय समिति नियुक्त करेंगे, जितने कि वे आवश्यक समझें. **समिति का गठन.**

(2) समिति का कार्यकाल एक वर्ष होगा किन्तु नवीन समिति गठित होने तक पूर्ववर्ती समिति कार्यरत रहेगी.

233-क. समिति के कृत्य निम्नानुसार होंगे :- **समिति के कृत्य.**

(1) पुस्तकालय की उन्नति के लिये सुझावों पर विचार करना;

(2) पुस्तकालय द्वारा दी गई सेवाओं से पूरा-पूरा लाभ उठाने में विधान सभा सदस्यों की सहायता करना और

(3) पुस्तकालय से संबंधित ऐसे विषयों पर विचार करना और मंत्रणा देना जो सभा द्वारा अथवा अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर विशिष्ट रूप से सौंपे जायें.

(ड) सामान्य प्रयोजन समिति.

234. (1) अध्यक्ष, सामान्य प्रयोजन-समिति नियुक्त करेंगे जिसमें अध्यक्ष और अधिक से अधिक बीस अन्य सदस्य, जिन्हें कि अध्यक्ष नाम-निर्देशित करें, होंगे. अध्यक्ष, समिति के पदेन सभापति होंगे. **समिति का गठन एवं कृत्य.**

(2) समिति, सभा के कार्यों से संबंधित उन विषयों पर विचार करेगी और मंत्रणा देगी जो उसे समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा सौंपे जायें.

(ढ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति.

234-क. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिये एक समिति होगी. समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :- **समिति के कृत्य.**

(क) संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर जहां तक कि उनका संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से हो, पर विचार करना और सभा को यह प्रतिवेदन देना कि राज्य सरकार द्वारा उसके क्षेत्राधीन विषयों के बारे में क्या कार्यवाही करना चाहिए.

(ख) संविधान के अनुच्छेद 16 के अधीन पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिये राज्य शासन द्वारा किये गये उपायों का परीक्षण.

(खख) संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर जहां तक कि उनका संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से हो, पर विचार करना और सभा को यह प्रतिवेदन देना कि राज्य सरकार द्वारा उसके क्षेत्राधीन विषयों के बारे में क्या कार्यवाही करना चाहिये.

(ग) अनुच्छेद 335 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सेवाओं और पदों (जिसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, संविहित तथा अर्द्धशासकीय निकायों में नियुक्तियां सम्मिलित हैं) में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिये राज्य सरकार द्वारा किये गये उपायों की जांच करना.

(घ) राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के चलाये जाने के बारे में सभा को प्रतिवेदन देना.

(ङ) राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समस्त मामलों पर सामान्य रूप से विचार करना व उन पर सभा में प्रतिवेदन देना.

(च) ऐसे मामलों की जांच करना जिन्हें समिति उपयुक्त समझे अथवा जो सभा द्वारा अथवा अध्यक्ष द्वारा उसे विशिष्ट रूप से सौंपे जायं.

(छ) समिति द्वारा प्रस्तावित उपायों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों के संबंध में सभा को प्रतिवेदन देना.

समिति का गठन.

234-ख. (1) समिति में 9 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से क्रमशः तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, जो सभा द्वारा उसके सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे :

परन्तु किसी मंत्री को समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जायेगा और यदि कोई सदस्य समिति में निर्वाचन के पश्चात् मंत्री नियुक्त हो जाय तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा.

(2) समिति का कार्यकाल एक वर्ष का होगा अथवा जब तक कि दूसरी समिति का गठन न हो जाय, जो भी बाद में हो.

(ण) पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति.

समिति का गठन एवं कृत्य.

234-ग. विधान सभा के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में अध्यक्ष, सभा के पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने हेतु एक समिति नियुक्त करेगा, जिसका कार्यकाल एक वर्ष का होगा.

समिति में अधिक से अधिक सात सदस्य होंगे, जो अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित किये जायेंगे :

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य नाम-निर्देशित नहीं किया जायेगा और यदि कोई सदस्य समिति के लिये नाम-निर्देशन के पश्चात् मंत्री नियुक्त किया जाय तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा.

(त) प्रश्न एवं संदर्भ समिति.

234-घ. (1) विधान सभा के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में अध्यक्ष, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का गठन करेंगे, जिसका कार्यकाल एक वर्ष का होगा. **समिति का गठन.**

(2) समिति में अधिक से अधिक सात सदस्य होंगे, जो अध्यक्ष, द्वारा नाम-निर्देशित किये जायेंगे :

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य नाम-निर्देशित नहीं किया जायेगा और यदि कोई सदस्य समिति के लिये नाम-निर्देशन के पश्चात् मंत्री नियुक्त किया जाये तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा.

234-घ घ. समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे :- **समिति के कृत्य.**

(1) यदि किसी तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, ध्यान आकर्षण सूचना एवं नियम 267-क के अधीन दी गई सूचना का उत्तर पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी शासन की ओर से समय से प्राप्त नहीं हो अथवा प्राप्त उत्तर अध्यक्ष को समाधानकारक नहीं हो और अध्यक्ष, ऐसा करना उचित समझें, तो वे उस प्रकरण को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर सकेंगे.

(2) इस नियम के स्थान पर निम्नानुसार स्थापित किया जाना प्रस्तावित -

``नियम 234 घघ (1) में उल्लेखित के अतिरिक्त सदन से संबंधित ऐसा कोई भी विषय जो अन्यिकसी समिति के क्षेत्राधिकार में न आता हो, अध्यक्ष द्वारा प्रश्न एवं संदर्भ समिति को विचार हेतु संदर्भित किए जा सकेंगे.``

(थ) महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति.

234-ङ. महिलाओं एवं बालकों के उत्पीड़न, दुर्व्यापार एवं शोषण पर रोक लगाने तथा उनके कल्याण के लिए एक समिति होगी. समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :- **समिति के कृत्य.**

(क) भारत के संविधान तथा छत्तीसगढ़ के किसी भी अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान की गई सुविधाओं के विरुद्ध उत्पीड़न, दुर्व्यापार तथा शोषण संबंधी प्राप्त शिकायतें जहां तक कि उनका संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से हो, पर विचार करना एवं सभा को यह प्रतिवेदन देना कि राज्य सरकार द्वारा उसके क्षेत्राधीन विषय के बारे में क्या कार्यवाही करनी चाहिये. समिति प्रदेश की महिलाओं एवं बालकों के विरुद्ध उत्पीड़न, दुर्व्यापार तथा शोषण सामान्यतः सभी विषयों तथा विशेषकर निम्नलिखित विषयों की शिकायतों का परीक्षण करेगी और अपनी अभ्युक्तियां, सुझाव, सिफारिशें प्रतिवेदन के रूप में सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी, अर्थात् :-

(1) संविधान के अनुच्छेद 24 के अन्तर्गत 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को जो राज्य के किन्हीं कारखानों, होटलों, खानों एवं संकटमय नौकरी में रखे गये हों, उनके प्रकरण;

(2) महिलाओं एवं बालकों के लिये बनाये गये अनाथ आश्रम, संप्रेक्षण-गृह, अनाथालय, महिला कल्याण गृह या महिला सुधारालयों, विशेष पाठशालाओं का कार्यचालन;

(3) दहेज के कारण प्रदेश में होने वाले महिलाओं के शोषण एवं हत्या के प्रकरण;

(4) बालकों के नशीले पदार्थों एवं नशा लाने वाली अन्य वस्तुओं के सेवन से उत्पन्न बुराइयां;

(5) महिलाओं एवं बालकों के उत्पीड़न, दुर्व्यापार तथा शोषण के संबंध में विधान सभा में हुई चर्चा के दौरान उठाये गये मुद्दे;

(6) राज्य में महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को चलाये जाने वाले प्रशासकीय विभागों, महिलाओं तथा बाल कल्याण संचालनालय के कार्य चालन.

(ख) समिति द्वारा प्रस्तावित उपाय पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों के संबंध में सभा को कार्यान्वयन प्रतिवेदन देना.

(ग) उपर्युक्त विषय में ऐसे मामलों की जांच करना जिन्हें समिति उपयुक्त समझे अथवा जो सभा द्वारा अथवा अध्यक्ष द्वारा विशिष्ट रूप से सौंपे जायें.

समिति का गठन.

234-च (1) यथा सम्भव वित्तीय वर्ष के आरम्भ में अध्यक्ष, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी एक समिति नियुक्त करेंगे, जिसका कार्यकाल साधारणतः 2 वर्ष का होगा.

(2) समिति में अधिक से अधिक 9 सदस्य होंगे जिनमें से अधिक से अधिक 6 महिला सदस्य होंगी. सभी सदस्य अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे :

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य नाम निर्देशित नहीं किया जायेगा और यदि समिति के लिये नाम निर्देशन के पश्चात् मंत्री नियुक्त किया जाये तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा.

अध्यक्ष द्वारा प्रक्रिया का विनियमन.

234-छ. अध्यक्ष, समिति या सभा के विचार से संबंधित सब विषयों के बारे में प्रक्रिया के विनियमन के लिये ऐसे निर्देश दे सकेंगे, जो वह आवश्यक समझें.

(द) आचरण समिति.

समिति का गठन.

234-ज. (1) चतुर्थ अनुसूची में उल्लेखित सदस्यों के आचरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के उल्लंघन से संबंधी प्राप्त शिकायतों की जांच अनुसंधान एवं सभा को प्रतिवेदन के लिए अध्यक्ष किसी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में या यथास्थिति 9 सदस्यीय आचरण समिति नाम-निर्दिष्ट करेंगे.

(2) अध्यक्ष विधान सभा समिति के पदेन अध्यक्ष तथा सदन के नेता एवं नेता प्रतिपक्ष पदेन सदस्य होंगे.

समिति को संदर्भित शिकायतों का परीक्षण.

234-झ. समिति मंत्रियों एवं सदस्यों के सदन के भीतर या बाहर उनसे अपेक्षित आचरण के विपरीत आचरण संबंधी अध्यक्ष, को प्राप्त एवं समिति को संदर्भित शिकायतों का परीक्षण कर सकेगी.

अध्यक्ष द्वारा सदस्यों के आचरण संबंधी मामले समिति को संदर्भित किया जाना.

234-ण. अध्यक्ष विधान सभा स्वयंमेव भी सदस्यों के आचरण से संबंधित मामले समिति को संदर्भित कर सकेंगे.

शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया.

234-त. यदि कोई शिकायत दस्तावेज पर आधारित हो तो शिकायत के साथ दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि भी शिकायतकर्ता को सत्यापित कर संलग्न करनी होगी. प्रत्येक शिकायत पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर होंगे और उसे अभिवचन के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 क्र.5) में अधिकथित रीति से सत्यापित किया जाएगा.

234-थ. नियम 234 ``झ`` के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर अध्यक्ष इस बात पर विचार करेंगे, कि क्या शिकायत नियम 234 ``त`` की अपेक्षाओं का पालन करती है. **शिकायत का परीक्षण.**

234-द. यदि शिकायत उपरोक्त नियम 234 ``त`` की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करती है तो अध्यक्ष शिकायत को रद्द करेगा और शिकायतकर्ता को तद्नुसार सूचित करेगा. **प्राप्त शिकायत रद्द करना तथा उसकी सूचना दी जाना.**

234-ध. यदि शिकायत नियम 234 ``त`` की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है तो अध्यक्ष शिकायत और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रतियां :- **शिकायत के संबंध में सदस्य से स्पष्टीकरण प्राप्त करना.**

(क) उस सदस्य को भिजवाएगा जिसके संबंध में शिकायत दी गई है.

(ख) ऐसा सदस्य ऐसी प्रतियों की प्राप्ति से 7 दिन के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जिसकी अध्यक्ष अनुज्ञा दे उस पर अपनी लिखित टिप्पणियां अध्यक्ष को भेजेगा.

234-न. शिकायत के संबंध में अनुज्ञात अवधि के भीतर प्राप्त सदस्य की टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् अध्यक्ष, यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है तो शिकायत को जांच अनुसंधान एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समिति को निर्दिष्ट करेगा. **शिकायत को जांच अनुसंधान के लिये समिति को सौंपने की शक्ति.**

234-प. समिति शिकायत पर प्रारंभिक विचार विमर्श के पश्चात् :- **शिकायत पर विचार.**

(क) शिकायत एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर जांच के आधार बिन्दु तय करेगी और संबंधित सदस्य को भेजेगी.

(ख) संबंधित सदस्य को ऐसी अवधि के भीतर जैसा कि समिति आधारित करे अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने का अवसर देगी.

(ग) समिति किसी शिकायत पर अपना प्रतिवेदन अध्यक्ष द्वारा शिकायत समिति को संदर्भित किये जाने की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि में अथवा उक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चात् आरंभ होने वाले सत्र के प्रथम दिन सभा में प्रस्तुत करेगी.

234-फ. समिति किसी भी समय जैसा कि वह उपयुक्त समझे किसी शिकायत की जांच को स्थगित कर सकेगी. अथवा शिकायत पर जांच करने से असहमति व्यक्त कर सकेगी, यदि समिति की राय में :- **शिकायत पर समिति द्वारा जांच स्थगित करना अथवा जांच हेतु असहमति व्यक्त करना.**

(क) शिकायत मनगढंत तथा दुराग्रहपूर्वक की गई है.

(ख) शिकायत की जांच के लिए पर्याप्त आधार नहीं है.

(ग) यदि किसी शिकायत के संबंध में समिति यह निर्धारित करती है कि शिकायत पर जांच स्थगित कर दी जाए अथवा जांच से इंकार कर दिया जाए तब समिति ऐसे समस्त कारण शिकायतकर्ता एवं सदस्य को संसूचित करेगी.

234-ब. झूठी मनगढंत एवं दुराग्रहपूर्वक की गई शिकायत के शिकायतकर्ताओं को दंडित करने के संबंध में समिति अपना प्रतिवेदन दे सकेगी. **झूठी शिकायतों पर शिकायतकर्ता को दंडित करना.**

234-भ. समिति द्वारा जब तक किसी शिकायत पर अपना प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत नहीं कर दिया जाए, यदि कोई व्यक्ति जान-बूझकर प्रतिवेदन अथवा शिकायत के अंशों को प्रकाशित करता है, तब सभा लिखित रूप में उसकी जानकारी में लाये जाने पर ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को दंडित कर सकेगी. **शिकायत/प्रतिवेदन का गोपनीय होना.**

234-म. समिति जांच की प्रक्रिया में किसी भी जांच करने वाली संस्था की सेवाएं ले सकती है. **अन्य संस्था की सेवाएं ली जाना.**

234-य. किसी सदस्य के संबंध में प्रथम दृष्टया आचरण संबंधी शिकायत पर यदि मामला गठित हो जाता है, तब :- **समिति का प्रतिवेदन.**

(क) समिति अपना प्रतिवेदन ऐसी अनुशंसाओं के साथ जैसा कि वह उचित समझे सभा को प्रस्तुत करेगी.

(ख) समिति अपने प्रतिवेदन में वह प्रक्रिया भी उल्लेखित कर सकेगी, जो कि अनुशंसाओं के अनुपालन में सहायक हो.

234-र. समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर प्रस्तुत करने के तुरंत पश्चात् संसदीय कार्यमंत्री द्वारा प्रतिवेदन पर विचार एवं स्वीकार का प्रस्ताव सभा में रखा जाएगा. **प्रतिवेदन पर विचार एवं स्वीकार करने का प्रस्ताव.**